न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

महेन्द्र कुमार आदि बनाम जगदीश वगैरह

किस्म मुकदमाः– 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः–317/2022 (GCMS No. 2022/281)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के दादा राजाराम पुत्र खेमाराम के नाम से वाके चक 4 बी.जे.डब्लयू. की जमाबंदी सम्वत् 2066 ता 69 के खाता संख्या 93/88 के पत्थर नं. 70/12 (20) के किला नं. 3 ता 8 की 2.024, 13 ता 18 की 2.024, 21 ता 25 की 1.265 कुल 4.301 हैक्टर अ0क0 कृषि भूमि पुख्ता आवंटन थी। जिसकी खातेदारी दिनांक 16.03.2022 को जारी हो चुकी है। उक्त रकबा प्रार्थीगण के दादा को आवंटन था तथा मौका पर उक्त रकबा की खातेदारी हो चुकी है। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश प्रसाद का 1/3 हिस्सा बनता है। उक्त रकबा पैतृक सम्पति की श्रेणी में आता है। पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में पुत्र व पुत्रिया अपना हक घोषित करवाने का हकदार है। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण का 4/5 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है। जैरप्रकरण रकबा में प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा है। परन्तु अप्रार्थीगण उक्त रकबा को बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पांबद किया जावे कि वे जैर प्रकरण रकबा तहसीलदार सूरतगढ़ वाके चक 4 बी.जे. डब्लयू. की जमाबंदी सम्वत् 2066 ता 69 के खाता संख्या 93/88 के पत्थर नं. 70/12 (20) के किला नं. 3 ता 8 की 2.024, 13 ता 18 की 2.024, 21 ता 25 की 1.265 कुल 4.301 हैक्टर अ0क0 कृषि भूमि को रहन, बैय ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खातेदारी सनद संख्या 4499 दिनांक 16.03.2022 से स्पष्ट है कि उक्त रकबा प्रार्थीगण के दादा के नाम से आवंटन होकर खातेदारी प्राप्त हुई है। जिससे साबित है कि उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या–01 को पैतृक प्राप्त रकबा है। प्रथम दृष्टया मामला साबित है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.11.2022 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–01 को पाबंद किया जाता है कि वे वाके चक 4 बी.जे.डब्लयू. की जमाबंदी सम्वत् 2066 ता 69 के खाता संख्या 93/88 के पत्थर नं. 70/12 (20) के किला नं. 3 ता 8 की 2.024, 13 ता 18 की 2.024, 21 ता 25 की 1.265 कुल 4.301 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि में अपने हिस्सा को रहन, बैय ना करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली चार्ज से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jay Prakash Meena Date: 2025.10.28 17:10:15 IST Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	